प्रपत्र - 5

परियोजना का नामः— जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्ड़ारा मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (Page 13-16)

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

42 माला

संख्या- 748 / III(2)/08- 42(प्रा.आ.)/07 टी0सी0

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0 लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्र सं0-1040/9/08 दिनांक 12-03-08, सं0-1001/(12)गोपेश्वर-पर्व0/08 दिनांक 07-03-08, सं0-1406/9 याता0-पर्व/08 दिनांक 13-03-08, सं0-1036(2)/36(492)याता-पर्व/08, दिनांक 10-03-08, सं0-1402/9 याता0-पर्व/08 दिनांक 13-03-08, सं0-1403/9 याता0-पर्व/08 दिनांक 13-03-08 तथा मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के पत्र सं0-2509/1003 याता0-कुमायूँ/2008 दिनांक 11-03-08 के कम में एवं शासनादेश सं0- 171/III-2/08-42(प्रा0आ0)/07 दिनांक 17-01-08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 17-01-08 के क0-2 पर उल्लिखित शर्त के कम में उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये 38 कार्यो के आगणनों के कुल लागत रूपये 3785.09 लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणापरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 3603.10 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ तीन लाख दस हजार मात्र) की धनराशि की संलग्न विवरण के कॉलम-6 के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दर शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने सें पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यो में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य कर लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

9. उक्त कार्यो में से यदि कोई कार्य या उसका कोई भाग यदि किसी अन्य विभागीय/विभागीय बजट से

10. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

13. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को सर्मपित कर दी जायेगी।

14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

15. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

17. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

18. शेष सभी शर्ते उपरिउल्लिखित शासनसदेश सं0–171/III–2/08–42(प्रा0आ0)/07 दिनांक 17-01-08 के अनुसार यथावत रहेंगी।

19. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–377/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:– 38 कार्यो की सूची।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या– 748 (1)/III(2)/08–42(प्रा.आ.)/07 टी0सी0 II तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त–गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
• मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/ कुमॉयू क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
[illegible] ...देशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. ... अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
... निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

प्रमाणित छाया प्रति

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0 वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

शासनादेश संख्या–748/III(2)/08–42(प्रा0आ0)/07 टी0सी0।। दिनांक 24 मार्च, 2008 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

शासनादेश सं0 171/III–2/08–42(प्रा.आ.)07 दि0 17.1.08 में कार्य का उल्लिखित कमांक	कार्य का नाम (शासनादेश दिनांक 17.01.08 के अनुसार)	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0 सी0 वित्त द्वारा आंकलित धनराशि
2	3	4	5	6
1	रूद्रप्रयाग से बासवाणा, किरोइ जलई, गैर कण्डारा मोटर मार्ग	4.00	147.00	147.00
7	जनपद चमोली में दुगड्डा– बरतोली मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	110.25	110.25
8	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग – नौटी–किरसाल मोटर मार्ग में खेत गधेरे से खेती–जखेट– चौरासैण तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	183.75	183.75
9	जनपद चमोली में गौचर–सिदोली मोटर मार्ग में खालीगाड़ से खरसांई–माठा –ग्वाड़ मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	110.25	110.25
10	जनपद चमोली में विछौना मोटर मार्ग का विस्तार/ पुनर्निर्माण	3.00	61.65	61.35
11	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग– नैनीसैण--डिम्मर मोटर मार्ग डामरीकरण	3.00	75.60	75.60
12	जनपद चमोली में गौचर–शैल–दुवा–कांडा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	5.00	61.50	61.50
13	जनपद चमोली में उमट्ठा– मौणा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	2.00	24.60	24.60
17	देहरादून में राजपुर नागल सहस्त्रधारा मार्ग रिंग रोड़ गार्डर पुल से चालंग गांव का सड़क नव निर्माण	1.50	127.37	118.00
23	देहरादून में सर्कुलर रोड़ से वैलहम स्कूल तक सड़क का चौड़ीकरण।	1.46	15.93	13.09
45	जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिलोगी – धनशाली मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
46	जनपद पौड़ी गढ़वाल में नौठखाल–[illegible] मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
47	जनपद पौड़ी गढ़वाल में ध्यौडखाल--नैरूल मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	70.00	70.00
48	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मष्टखाल रैंस मोटर मार्ग का कोठार तक विस्तार	2.00	70.00	70.00
49	जनपद पौड़ी गढ़वाल में ढांसी–कडघर मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
50	जनपद पौड़ी गढ़वाल में डोबर से पदेख ढौरी डाबर मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	70.00	70.00
51	जनपद पौड़ी गढ़वाल मे मालन नदी	60	97.90	97.44

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)